(35)

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 486–एक / 2009, विरूद्ध आदेश दिनांक 13–04–2009 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 41 / निग0 / 2007–08,

....

1– नारायण प्रसाद पिता श्री विद्याधर शर्मा
2– श्रीमती सरोज पत्नी श्री सुखदेव शर्मा
3– श्रीमती सविता पत्नी श्री रमेशचन्द्र शर्मा
4– श्रीमती विजयलक्ष्मी श्री कृष्णकान्त शर्मा
निवासीगण सीहोर रोड, काला पीपल मण्डी
कृषकगण मान्याखेड़ी, तहसील–कालापीपल,
जिला–शाजापुर

.........आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा विहित प्राधीकारी सीलिंग विधान एवं अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर
2– तहसीलदार महोदय तहसील कालापीपल
3– यशवन्तराव आत्मज श्री विष्णुपन्त राव
4– सुधाबाई पुत्री इन्द्राबाई
5– माणिकबाई पुत्री इन्द्राबाई
6– कीलाबाई पुत्री इन्द्राबाई
7– प्रमीलाबाई (मृतक वारिसान श्रीमती ज्योतीबाई बेवा जगन्नाथ गर्दे,) निवासी–बम्बई
क्रमांक 3 लगायत 7 निवासीगण–मान्याखेड़ी,
तहसील कालापीपल मण्डी, शाजापुर
द्वारा मुख्तार आम यशवन्तराव पिता विष्णुपन्तराव
दक्षिणी, निवासी– कालापीपल

...........अनावेदकगण

....

श्री एम0एस0 कुरैशी, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदकगण एकपक्षीय

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/7/2014 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–04–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं समक्ष प्राधिकारी (सीलिंग विधान) शुजालपुर द्वारा मध्यप्रदेश कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 संशोधित 1974 के अधीन धारक यशवंतराव पिता विष्णुपंत, निवासी भान्याखेड़ी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 133/अ–90(बी)/74–75 पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में दिनांक 28.1.85 को आदेश पारित कर आवेदक को 54 एकड़ भूमि की पात्रता निर्धारित कर शेष भूमि 102.53 एकड़ अतिशेष घोषित की गई । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं समक्ष प्राधिकारी(सीलिंग विधान) शुजालपुर के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर शाजापुर के न्यायालय में अपील की जो प्रकरण क्रमांक 04/अपील/84–85 में दर्ज होकर यह अपील आदेश दिनांक 30.09.85 से अस्वीकार की गई । आवेदक ने पुनः कलेक्टर शाजापुर के आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुतत की जो प्रकरण क्रमांक 22/85–86/निगरानी मे पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 25.01.1990 से अस्वीकार की गई । आवेदक ने अपर आयुक्त उज्जैन के निर्णय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 110–दो/90 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 28.02.1995 से स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि मृतक आवेदिका इन्द्राबाई (आवेदक की माता) के वारिसान को नोटिस जारी किया जाकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाए, आवेदक के पुत्र को व्यस्क पुत्र मानकर उसकी पात्रता के अनुसार आवेदक की अतिशेष घोषित भूमि में से 30 एकड भूमि छोड़ी जाए एवं आवेदक को अपनी इच्छा के अनुसार भूमि छोड़ने का अवसर दिया जाए । राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के अनुपालन में अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–90/बी–/96–97 पंजी

धरक द्वारा प्रेषत की जा सकती है जो उसके स्वामित्व की हो परन्तु विवादित भूमि सर्वे नंबर 499/4 धार के स्वामित्व की ना होकर आवेदकगण के स्वामित्व की होने से उसे अतिशेष भूमि के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार धारकगण को नहीं था, किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि को सरेंडर नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई विचार ना करते हुए आवेदकगण की भूमि शासन में वैष्ठित कर दी गई । इस कारण आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाने योग्य है । धारक द्वारा या तो स्वयं के स्वामित्व की भूमि को शासन में वैष्ठित किया जा सकता था अथवा जिन भूमि के विक्रय पत्र शून्य घोषित किये गये हैं उनको शासन में वैष्ठित किया जा सकता था किन्तु किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को किस आधार पर शासन में वैष्ठित कर लिया गया । इस संबंध में धारकगण द्वारा न्यायालय के साथ धोखधड़ी की गई है । विवादित कृषि भूमि सर्वे नंबर 499/4 ना तो आवेदकगण के स्वामित्व की है और ना ही उनके द्वारा सम्पादित विक्रय पत्र ही निरस्त अथवा प्रभावहीन व शून्य घोषित हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि पर नाम भे बहैसियत भूमि स्वामी का ही दर्ज चला आ रहा है । इस कारण भी अधीनस्थ विधि न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाने योग्य नहीं है तथा आवेदकगण की भूमि को धारकगण द्वारा शासन के हित में वैष्ठित कराने का को अधिकार भी नहीं है इस कारण भी आदेश दोषपूर्ण होकर निरस्त किया जाने योग्य है । कलेक्टर, द्वारा अपने आदेश में विक्रय पत्र को कंसीडर किया गया है परन्तु विधि के प्रावधान के अनुसार कलेक्टर समक्ष प्राधिकारी नहीं है इस कारण उन्हें ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र भी प्राप्त नहीं था, परन्तु इस वैधाकि बिन्दु पर भी कोई विचार नहीं किया गया है तथा कलेक्टर, शाजापुर द्वारा पारित विवादित आदेश विदाउट जूरिडिक्शन होने से निरस्त योग्य है तथा ऐसे आदेश को किसी दशा में कायम नहीं रखा जा सकता है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे, इसलिये अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदक का मुख्य जोर इस बिन्दु पर है कि धारक ने सीलींग एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरणी में उनके हित की भूमि सर्वे क्रं0 499/4 रकबा 3.711 हैक्टर का उल्लेख नहीं किया था । अतः उक्त भूमि को अतिशेष घोषित नहीं किया जा सकता । आवेदक के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अभिलेख का अवलोकन किया । प्रारूप विवरणी तथा दिनांक 01–01–71 एवं Appointed day के बीच किए गए अन्तरणों में धारक ने खसरा क्रं0 499/4 की भूमि को शामिल नहीं किया है । स्पष्ट है कि अतिशेष भूमि की गणना करत समय इस भूमि को धारक के स्वामित्व की भूमि मानकर गणना नहीं की गई । ऐसी स्थिति में यदि धारक द्वारा उक्त भूमि को अतिशेष घोषित करने के लिए चिन्हित किया है तो स्पष्ट है कि धारक इसे उसके स्वामित्व की भूमि मानता है ऐसी स्थिति में धारक द्वारा धारण की जाने वाली भूमि (156.53 एकड़ + खसरा नं0 499/4 की भूमि 3.711 हैक्टयर) होनी चाहिए तथा तदनुसार धारक की पात्रता की भूमि कम करने पर अतिशेष घोषित की जाने वाली भूमि (72.53 एकड़+खसरा नं0 499/4 की भूमि 3.711 हैक्टयर) होनी चाहिए तथा तदनुसार ही अतिशेष भूमि की धारक को इच्छा लेकर अन्तिम विवरणी जारी की जानी चाहिए । आवेदक के द्वारा उठाए गए इस तथ्य को सक्षम अधिकारी तथा विद्वान आयुक्त ने भी गंभीरता से नहीं देखा है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में सक्षम अधिकारी का आदेश दिनाक 07–01–2002 तथा आयुक्त का आदेश दिनांक 13–04–2009 निरस्त किए जाते है तथा प्रकरण पुनः सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को उक्त भूमि (सर्वे नं0 499/4 रकबा 3.711 हैक्टयर) को भी धारक की भूमि में शामिल कर पुनः अतिशेष भूमि की गणना कर नियमानुसार अन्तिम विवरणी जारी करने हेतु प्रेषित किया जाता है । जहॉ तक आवेदक के उनकी इस भूमि के उनके पक्ष में हुए अन्तरण को विधिवत बताने का प्रश्न है इस का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किया जाकर उनका दावा अमान्य किया जा चुका है तथा इस निगरानी में और कोई नया तथ्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः इस सम्बन्ध में उनका दावा अमान्य किया जाता है।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर